FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

डेशाराम .... बनाम पूनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० भ्रा० वि० 251(A) RTAct नं. 9/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/06/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251(A) RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/06/2020 को पेश हो। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली नियत दिनांक 16/06/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
16/06/20	पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है तथा तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 05/08/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2020.09.11 16:10:59
Reason: SelfAttested

05/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों को एडी तथा तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 26/08/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

26/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मूल आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट से प्रार्थी वकील सहमत है प्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थी का मूल आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 91/2020 | **दिनांक :– 26.08.2020**

प्रार्थी | **बनाम** | **विप्रार्थीगण**

केशाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

1. पूनमाराम पुत्र श्रीरामाराम
2. गुणेशाराम पुत्र श्रीरामाराम
3. बांकाराम पुत्र श्रीरामाराम
4. बाबू उर्फ ईशरा पुत्र श्रीरामाराम
5. जेठीदेवी पत्नी श्रीरामाराम
6. भंवराराम पुत्र रेखाराम
7. नानगाराम पुत्र रेखाराम
8. पेमाराम पुत्र रेखाराम
9. सादुलाराम पुत्र रेखाराम
10. उदाराम पुत्र रामकिशन
11. पारूदेवी पत्नी पूनमाराम
12. भीखीदेवी पत्नी टीकमाराम
13. पूनमाराम पुत्र सोनाराम
14. धापूदेवी पत्नी सोनाराम
15. भीखीदेवी पत्नी टीकूराम
16. नेनूदेवी पत्नी हेराजराम
17. देवाराम पुत्र टीकूराम
18. मीरों पत्नी मोहनराम
19. पेमाराम पुत्र मोहनराम विप्रार्थी सं. 19 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता वि.सं. 18 मीरों पत्नी मोहनराम
20. विशनाराम पुत्र टीकूराम जातियान् जाट निवासीयान् धतरवालों का सरा, छीतर का पार
21. तहसीलदार बायतु
22. शाखा प्रबंधक ईडियन बैंक शाखा बाड़मेर
23. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा भीमडा

जातियान्–जाट, निवासीयान्–टांकेलियासर, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 173, 313, 172 म रकबा [illegible]
1 बिघा 13 बिस्वा [illegible]

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 317 रकबा 30.17 बीघा ग्राम धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 20 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 313, 172 व 173 में से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ताउपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 317 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173, 313, 172 में से रास्ता चाहा है, न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बिन्दु A, B से C तक का रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 74 बिस्वांसी है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पंर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 173, 313, 172 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 74 बिस्वांसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु A, B से C तक - खसरा नम्बर 173, 313, 172 में रकबा क्रमशः 8 बिस्वांसी
1 बिस्वा 13 बिस्वांसी रास्ते की उक्ति के [illegible]
बिन्दु [illegible]

रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 317 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खसरा नम्बर 173, 313, 172 में से होकर खसरा नम्बर 317 तक पहुंचने हेतु क्रमशः 8 बिस्वांसी, 01 बिस्वा 13 बिस्वांसी, 01 बिस्वा 13 बिस्वांसी बीघा कुल 74 बिस्वांसी का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार बिन्दु A, B से C तक कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 164074/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 74 बिस्वांसी की राशि 60706 तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 60706/– नियमानुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 20 को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] खसरा नम्बर 173, 313, 172 में रकबा क्रमशः 8 बिस्वांसी [illegible]
1 बिस्वा 13 बिस्वांसी [illegible]

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांकः– 05/06/2020

क्रमांक/वाद/2020/12

प्रेषितः–

तहसीलदार,
बायतु।

विषयः– मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केशाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, छीतर का पार द्वारा इस न्यायालय में जरिये अधिवक्ता एक राजस्व आवेदन 251 (ए) अनवान् केशाराम बनाम पूनमाराम वगैरह राजस्व आवेदन संख्या 91/2020 का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 317 रकबा 30.17 बीघा सरहद मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खं. नं. 313, 172, 173 मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार मे से होकर सड़क मार्ग तक जाने हेतु 12 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। इस हेतु मौका रिर्पोट बनाने हेतु आपको मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है जिस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट आगामी पेशी तारीख 16/06/2020... से पूर्व प्रस्तुत करें।

1. प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है अथवा नही।
2. यदि वैकल्पिक मार्ग है तो नजरी नक्शें में दर्शाते हुए उक्त मार्ग के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. प्रार्थी व विप्रार्थी के खातेदारान् के मध्य कोई सीमा विवाद या अन्य कोई विवाद, किसी भी न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं। यदि हां तो किस न्यायालय में किस प्रकृति का मामला दर्ज है।
4. चाहे गये रास्ते में यदि कोई निर्माण आदि हो तो तत् संबंधी रिपोर्ट पेश करें।
5. खसरा नं. 313, 172, 173 की प्रति बीघा व हैक्टेयर में डी.एल.सी दर अंकित करें। साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुणी राशि की गणना कर राशि अंकित करें।
6. चाहे गए रास्ते का कुल रकबा स्पष्ट रूप से अंकित करें।

आप द्वारा भिजवाई जाने वाली मौका रिपोर्ट पर अपनी अभिशंषा मय हस्ताक्षर कर भिजवायें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested